

**बिहार सरकार**  
**नगर विकास एवं आवास विभाग**  
**अधिसूचना**

संख्या-5/नि0वि0 (गठन)-11/2017 **6353** /बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-3 सह पठित धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित आदेश का प्रारूप, प्रकाशित करना चाहते हैं, इससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ इसके द्वारा जिसे प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर उक्त प्रारूप पर विचार किया जायगा।

प्रारूप प्रकाशन की अवधि में संबंधित प्रण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर उक्त अधिनियम की धारा-5 के अधीन विचार किया जायेगा।

**प्रारूप आदेश**

संख्या-5/नि0वि0 (गठन)-11/2017 /बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-3 की उपधारा (1) (ग) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल घोषित करते हैं कि उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ, नालन्दा जिलान्तर्गत गिरियक प्रखण्ड के निम्नलिखित ग्रामों की परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों में, जिनकी चौहद्दी नीचे दी गई है, प्रशासनिक उपबंध करना तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को उक्त क्षेत्र में लागू करना आवश्यक है:-

1. (क) ग्रामों के नाम एवं थाना नं०

(क)	ग्रामों के नाम	थाना सं०
	1. बढैया	344
	2. धोराही	349
	3. आदमपुर	351
	4. गिरियक बहवलपुर	352
	5. धोडा कटोरा	353
	6. डा० इंग्लिश	354
	7. सिकन्दरा	355
(ख)	<u>चौहद्दी</u>	<u>ग्राम/थाना नम्बर</u>
	उत्तर	रैतर 346
	दक्षिण	पुरैनी 356
	पूरब	सतौआ 343
	पश्चिम	चमरडीहा 445

इस क्षेत्र को नगर पंचायत, गिरियक कहा जायेगा।

2. यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(चैतन्य प्रसाद)

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

/पटना, दिनांक- 22/9/17

संख्या-5/नि0वि0 (गठन)-11/2017 **6353** /न0वि0 एवं आ0वि0

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को, बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करावेंगे।

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

संख्या-5/नि0वि0 (गठन)-11/2017 6353 /न0वि0एवं.आ0वि0

/पटना, दिनांक- 22/9/17

प्रतिलिपि:-सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/महालेखाकार, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा/माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/9/2017  
प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

संख्या-5/नि0वि0 (गठन)-11/2017 6353 /न0वि0एवं.आ0वि0

/पटना, दिनांक- 22/9/17

प्रतिलिपि:-सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/9/2017  
प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग  
अधिसूचना

संख्या-5/नि0वि0 (गठन)-11/2017 अधिसूचना संख्या-6353 दिनांक-21/9/17 /का निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
21/9/2017  
(चैतन्य प्रसाद)  
प्रधान सचिव  
नगर विकास एवं आवास विभाग

Government of Bihar  
Urban Development and Housing Department

Notification

No-5/N. V. (Gathan)-11/2017 6354 In exercise of powers conferred by section 3 read with section-4 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11,2007) the Governor of Bihar desires to publish the following draft order, which is hereby published for the information of those who are likely to be affected by it and notice is hereby given that the said draft would be considered within a month from the date of publication of this notification.

Objections/Suggestions received through the concerned District Magistrates/Divisional Commissioner during the period of the draft publication will be considered under section-5 of the said Act.

Draft Order

No-5/N. V. (Gathan)-11/2017

/ In exercise of powers conferred by sub section (1)

(c) of Section-3 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11, 2007) the Governor of Bihar declares that for the purpose of the said Act, it is necessary to make an administrative provision and to enforce the provisions of the said Act in the areas falling in the circle of the following villages of the Giriyak Block within the District of Nalanda whose boundaries are noted below:-

1 (a) Name of villages and Thana Nos

<u>Name of Villages</u>	<u>Thana No.</u>
1. Badhaitaa	344
2. Dhoraahi	349
3. AAdampur	351
4. Giriyak Bahvalpur	352
5. Ghora Katora	353
6. Dr. English	354
7. Sikendraa	355

(b) Boundary:-

North-	Raitar	346
South-	Puraini	356
East-	Satauaa	343
West-	Chamardihaa	445

These area will be called the Nagar Panchayat, Giriyak

2. This notification shall come to force at once.

By the order of the Governor of Bihar

21/9/2017  
(Chaitanya Prasad)  
Principal Secretary

Urban Development and Housing Department

Memo No- 5/N. V. (Gathan)-11/2017 6354 UD&HD Dated:- 22/9/17

Copy to the Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbagh, Patna for its publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette.

2. He is requested to make available 200 copies of the Gazette to Urban Development and Housing Department.

Principal Secretary

Urban Development and Housing Department

Memo No- 5/N. V. (Gathan)-11/2017 6354 UD&HD Dated:- 22/9/17

Copy to All Departments/Departmental Heads/All Commissioners/All District Magistrates/Accountant General Bihar, Patna/Auditor of Local Accounts Bihar, Patna/ Treasury Officer Nalanda/ Private Secretary to the honorable Chief Minister/ Private Secretary to the honorable Minister Urban Development and Housing Department/Principal Private Secretary to the Principal Secretary, Urban Development and Housing Department for information and necessary action.

Principal Secretary

Urban Development and Housing Department

Memo No- 5/N. V. (Gathan)-11/2017 6354 UD&HD Dated:- 22/9/17

Copy to Secretary, State Election Commission Bihar, Son Bhawan, Patna for information and necessary action.

Principal Secretary

Urban Development and Housing Department